साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 6, अंक : 5 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2020 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

आपकी याददाश्त को कमजोर कर रहा है वायु प्रदूषण- शोध

दुनिया की 91 फीसदी आबादी उन स्थानों पर रहती है जहां हवा की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका सीधा मतलब हुआ कि आज दुनिया के अधिकतर लोग वायु प्रदूषण कि जद में है । जिससे उनको नित नयी और कोई न कोई बीमारियां घेरे रहती हैं।

आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर वर्ष वायु प्रदूषण 70 लाख लोगों की जान ले लेता है, जबकि स्ट्रोक से होने वाली 24 फीसदी और हृदय रोग से होने वाली 25 फीसद मौतों की वजह वायु प्रदूषण ही है। पर यदि बात स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की करें तो दुनिया की केवल 9 फीसदी आबादी ही इसके खतरे से बाहर है । स्ट्रोक, दमा, हृदय रोग, आंख, कैंसर और ऐसी अनगिनत बीमारियों से ग्रस्त हैं, पर हाल ही में वार्विक विश्वविद्यालय द्वारा किये गए नए शोध से पता चला है कि वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पीएम10 का बढ़ता स्तर हमारी याददाश्त को नुक्सान पहुंचा रहा है । इंग्लैंड के लोगों पर किये इस शोध में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है ।जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी याददाश्त भी कमजोर होती जाती है । शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इंग्लैंड के सबसे स्वच्छ और सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की यादाश्त का अंतर आयु के 10 वर्षों के बढ़ने जितना है।

इंग्लैंड भर में 34,000 लोगों पर किये गए इस अध्ययन में प्रदूषित और गैर प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच स्मृति की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। इस अध्ययन में शामिल सभी लोगों को शब्द-याद करने की परीक्षा में 10 शब्द याद करने के लिए दिए गए । इस विश्लेषण के लिए याददाश्त पर प्रभाव डालने वाले अन्य घटकों जैसे कि लोगों की उम्र, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर, जातीयता, परिवार और रोजगार की स्थिति आदि का भी ध्यान रखा गया । साथ ही शोधकर्ताओं ने इंग्लैंड के प्रत्येक जिले की वायु गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी एकत्र की, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) दोनों शामिल थे । पीएम10 का तात्पर्य उन प्रदूषकों से है, जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है । यह दोनों ही प्रदूषक कार और अन्य वाहनों, बिजली संयंत्रों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्सर्जित होते हैं । यह अध्ययन जर्नल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में प्रकाशित होगा। वारविक विश्वविद्यालय के एंड्रयू ओसवाल्ड ने बताया कि वायु प्रदूषण, याददाश्त को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जो कि चिंता का विषय है । हमने जब प्रदूषित क्षेत्र में रहने वाली 50 वर्ष की शख्स को एक वाक्य याद करने के लिए कहा, तो उसकी याददाश्त गैर प्रदूषित क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्ष की शख्स जितनी पायी गयी।

यह अध्ययन साफ तौर पर इस ओर इशारा है कि वायु प्रदूषण हमारे दिमाग और याददाश्त पर असर डाल रहा है । जो कि बच्चों और बुजुर्गों के मानसिक और बौद्धिक विकास पर और बुरा असर डाल सकता है, जो कि चिंताजनक है । यह समस्या भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों के लिए और गंम्भीर हो जाती है, क्योंकि यहां वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वस्थ्य संगठन द्वारा तय वायु की गुणवत्ता के मानकों से कई गुना अधिक है । इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि वायु प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम लगायी जाए । यह सरकार की जिम्मेदारी है की वह प्रदूषण को रोकने के लिए मानक और नियम निर्धारित करे । साथ ही यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे, क्योंकि यह न केवल सरकार और समाज का दायित्व है, बल्कि हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य का भी सवाल है । प्रदूषण का जहर हमें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, जो बाहर से हमें दिखाई भी नहीं देता, और जब तक हमें इसका पता चलता है बहुत देर हो जाती है।

प्रकृति को बचाने के अपने ही तय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं कई देश

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि प्रकृति को संरक्षित करने और पृथ्वी की महत्वपूर्ण जैव विविधता को बचाने के लिए, एक दशक पहले सभी देशों ने खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। जिन्हें एक तय समय सीमा में पूरा किया जाना था, लेकिन आज भी सभी लक्ष्य अधूरे हैं।

हाल ही के डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के आकलन के अनुसार, पिछले पांच दशकों में प्राकृतिक दुनिया पर मानवता का प्रभाव तबाही से कम नहीं रहा है। 1970 के बाद से 70 प्रतिशत के करीब जंगली जानवर, पक्षी और मछलियां गायब हो गई हैं।

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता पर पैनल आईपीबीईएस ने चेतावनी दी थी कि मानव निर्मित गतिविधि के रूप में 10 लाख (एक मिलियन) प्रजातियां विलुप्ति का सामना कर रही हैं। पृथ्वी पर तीन चौथाई भूमि को गंभीर रूप से खराब कर दिया गया है।

2010 में हुए संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में 190 सदस्य देशों ने 2020 तक प्राकृतिक दुनिया में हो रहे नुकसान को सीमित करने के लिए योजना बनाई थी।

20 उद्देश्यों में जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी को समाप्त करना, जीवों के निवास स्थान को होने वाले नुकसान को सीमित करना और मछली के भंडार की रक्षा करना शामिल था। लेकिन मंगलवार को जारी अपने नवीनतम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (जीबीओ) में यूएन ने कहा कि इनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है।

आईपीबीईएस के कार्यकारी सचिव ऐनी लैरीगुडीरी ने बताया कि हम इस समय एक व्यवस्थित तरीके से मनुष्यों को छोडंकर सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए आगे आने वाला वर्ष प्रकृति और जलवायु की कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में पाया गया कि जैव विविधता के किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।

कोरोनोवायरस महामारी के कारण इस साल होने वाले दो बड़े जैव विविधता शिखर सम्मेलन की योजनाओं को स्थगित कर दिया है। कॉप 15 वार्ता और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ़ नेचर कांग्रेस दोनों जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था, अब इन्हें 2021 तक के लिए टाल दिया गया है।

कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव एलिजाबेथ मारूमा म्रेमा ने बताया कि समाज प्रकृति के महत्व के बारे में जाग रहा है। कोविड ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि वनों की कटाई, जंगलों में मानव अतिक्रमण का हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

लोगों ने महसूस किया है कि सबसे खतरनाक प्रजाति हम अथवा मनुष्य हैं और उन्हें खुद भूमिका निभाने और उद्योगों में बदलाव के लिए दबाव डालना होगा।

यह आकलन एक दशक से 2030 के दौरान प्रकृति को हो रहे नुकसान को दूर करने के लिए तरीका बताता है, जिसमें हमारी कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव और भोजन की बर्बादी और खपत में कमी शामिल है। संरक्षण में एक प्रमुख घटक स्वदेशी आबादी है जो दुनिया भर में लगभग 80 प्रतिशत जैव विविधता को नियंत्रित करती है।

राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव के समन्वयक एंडी व्हाइट ने बताया कि स्वदेशी सशक्तीकरण पर जोर देने वाले 150 से अधिक समूहों का एक वैश्विक गठबंधन है। व्हाइट ने कहा कि उन्हें स्वदेशी भूमि अधिकारों को बढ़ावा देकर संरक्षित किया जाना चाहिए। पृथ्वी और उसके लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए यह एक आजमाया हुआ समाधान है।

ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (जीबीओ) में कहा गया है कि पिछले दशक में प्रकृति की रक्षा की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, वनों की कटाई की दर पिछले दशक की तुलना में लगभग एक तिहाई कम हो गई है। 2000 के बाद से 20 साल की अवधि में संरक्षित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूमि से 15 प्रतिशत और तीन प्रतिशत महासागरों से कम से कम सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लेकिन रिपोर्ट में विस्तृत प्रकृति के खतरों के बीच जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का निरंतर प्रचलन बताया गया है। जिसका अनुमान अध्ययनकर्ताओं ने लगभग 3,68,71,25 करोड़ रुपये (500 बिलियन डॉलर) सालाना लगाया है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी जैव विविधता के लिए और ज्यादातर मामलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक है।

संयुक्त राष्ट्र के आकलन पर प्रतिक्रिया करते हुए, ब्रिटेन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जीवन विज्ञान विभाग के एंडी पुर्विस ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि दुनिया अपने स्वयं के प्रकृति संरक्षण के सभी 20 लक्ष्यों को अधूरे छोड़ने के लिए तैयार है। इससे न केवल प्रजातियां मर जाएंगी, बल्कि यह भी कि समाज की जरूरतों को पूरा करने वाला पारिस्थितिक तंत्र भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

पक्षी विहार में हो रहा था अवैध निर्माण, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 18 सितंबर को निर्देश दिया कि सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए। इस समिति में मुख्य वन्यजीव प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन प्रभाग के सदस्य शामिल होंगे।

एनजीटी के समक्ष दायर एक याचिका में कहा गया है कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (एचआईटी) और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज (एईसी) सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिला आगरा के भीतर हैं। न्यायालय ने उल्लेख किया कि यद्यपि अभयारण्य के मानचित्र में संरक्षित क्षेत्र 403.09 हेक्टेयर था, अभयारण्य का क्षेत्रफल 1020.25 हेक्टेयर था। 403.09 हेक्टेयर के बाहर निर्माण हैं लेकिन यह 1020.25 हेक्टेयर के भीतर है। यदि वे वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा थे, तो वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27 के तहत, ऐसे निर्माणों की अनुमति नहीं थी और वे तब तक अवैध थे जब तक कि वन्य जीवन अभयारण्य की सीमा अधिनियम की धारा 26 ए के तहत बदल न दी गई हो। निर्माण 1991 की अधिसूचना के बाद होने की बात कही गई थी। इस प्रकार या तो यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए कि यह क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ऐसे में उक्त क्षेत्र के सभी निर्माणों को हटा दिया जाना चाहिए या वन्यजीव अभयारण्य की सीमा को उचित रूप से सीमांकित और निर्धारित किया जाना चाहिए।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 17 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा असम के तिनसुकिया जिले में मचकी, मचकी एक्सटेंशन, बागजान और तिनसुकिया एक्सटेंशन पीएमएलएस को कवर करते हुए प्रस्तावित ऑनशोर तेल और गैस विकास ड्रिलिंग और उत्पादन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रस्तावित परियोजना एक पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील और नाजुक क्षेत्र में बताई गई है, जहां मचकी ब्लॉक डिब्रू-साइकोवा नेशनल पार्क, मगुरी-मोटापुंग आर्द्रभूमि परिसर के करीब स्थित है और यह देहिंग पटकई हाथियों के लिए आरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र का हिस्सा है। यह आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करके पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। क्योंकि परियोजना के अधिवक्ता ने संचयी प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील और जैव विविधता वाले स्थान के बारे में फॉर्म -1 में जानकारी छिपाई थी। यह भी उस समृद्ध परिदृश्य में जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और साथ ही एक हाथियों के लिए आरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र भी शामिल है।

मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) वनस्पतियों और जीवों पर खराब प्रभाव नहीं डालेगा। लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) लिमिटेड परियोजना के अधिवक्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आसपास निर्माण के कार्य से वहां की वनस्पतियां और जीव प्रभावित नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) द्वारा ज़रूरी तौर पर सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। यह एल एंड टी द्वारा 19 सितंबर, 2020 के हलफनामे में कहा गया था कि कंपनी ने एमटीएचएल परियोजना की स्थिति और पर्यावरणीय प्रभाव शमन उपायों की स्थिति निर्धारित की है। एमटीईएल और 25 जनवरी 2016 को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2011 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति पर दिलीप बी. नेवतिया द्वारा अपील की गई थी।

जमीन पर प्लास्टिक प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं सिंथेटिक कपड़ों से निकला माइक्रोफाइबर

हर साल करीब 176,500 मीट्रिक टन सिंथेटिक माइक्रोफाइबर जमीन पर जमा हो रहा है, जिसके लिए पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपडे जिम्मेवार हैं। अभी तक इसी बात की जानकारी थी कि धुलाई के दौरान कपड़ों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया द्वारा किये इस नए शोध से पता चला है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जमीन पर भी जमा हो रहा है जोकि जल स्रोतों में जमा माइक्रोफाइबर से भी ज्यादा है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित हुआ है।

1950 से 2017 के बीच करीब 920 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया था जिसमें से 530 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक को लैंडफिल या फिर खुले वातावरण में डंप कर दिया गया था। गौरतलब है कि प्लास्टिक के करीब 14 फीसदी हिस्से को कपड़ों के लिए सिंथेटिक फाइबर बनाने में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से यह माइक्रोफाइबर लंबाई में 5 मिलीमीटर से छोटे रेशे होते हैं। जब इन कपड़ों को धोया जाता है तो इनसे बड़ी मात्रा में यह माइक्रोफाइबर उत्पन्न होते हैं। पिछले कई वर्षों से जल स्रोतों में जमा होने वाले माइक्रोफाइबर पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है पर वो अकेले ही नहीं हैं जहां कपड़ों से निकले माइक्रोफाइबर जमा होते हैं। जब धोने का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो यह माइक्रोफाइबर भी उनके जरिए गाद के रूप में जमा हो जाते हैं, जिन्हें या तो खेतों या फिर लैंडफिल में डाल दिया जाता है।

दुनिया भर में कितना सिंथेटिक माइक्रोफाइबर उत्पन्न हो रहा है इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने इसके लिए प्लास्टिक के वैश्विक उत्पादन, खपत और वेस्ट से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें कपड़ों को मशीन और हाथ से धोने के दौरान उत्पन्न हुए माइक्रोफाइबर सम्बन्धी आंकड़ों को भी मापा गया है। साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए कितना माइक्रोफाइबर जमा हो रहा है उसके आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं। हालांकि यह जो आंकड़ें हैं वो कपड़ों से उनके पूरे जीवनकाल में उत्पन्न होने वाले माइक्रोफाइबर की गणना नहीं करते। उदाहरण के लिए, इसमें सेकंडहैंड कपड़ों का कोई हिसाब नहीं है। हालांकि इस शोध से पता चला है कि 1950 से 2016 के बीच कपड़ों की धुलाई से लगभग 56 लाख मीट्रिक टन सिंथेटिक माइक्रोफाइबर उत्पन्न हुआ था, जोकि सिंथेटिक फाइबर के व्यापक उपयोग की शुरुआत थी। जबकि उसका करीब आधा माइक्रोफाइबर पिछले एक दशक में उत्पन्न हुआ है। यदि सिंथेटिक माइक्रोफाइबर के उत्सर्जन को देखें तो उसमें हर साल 12.9 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें से करीब 19 लाख मीट्रिक टन जमीन पर छोड़ दिया गया है। वहीं 6 लाख मीट्रिक टन लैंडफिल में डंप कर दिया गया है। जबकि यदि वर्तमान उत्सर्जन को देखें तो हर साल करीब 176,500 मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर जमीन पर छोड़ा जा रहा है। वहीं 167,000 मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर जल स्रोतों में डाला जा रहा है। जमीन पर पहुंचने वाला करीब 92 फीसदी माइक्रोफाइबर बायोसॉलिड्स के रूप में पहुंचता है7 8 फीसदी वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकले अपशिष्ट जल से हो रही सिंचाई के जरिए पहुंच रहा है जबकि 3 लाख मीट्रिक टन राख के जरिए जमीन पर पहुंच रहा है। 1950 से 2016 के बीच 29 लाख मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर को जल स्रोतों में छोड़ दिया गया था। जिसका 88 फीसदी हिस्सा गंदे अपशिष्ट जल के रूप में जल स्रोतों तक पहुंच रहा है। वहीं 8 फीसदी साफ किए अपशिष्ट जल और 4 फीसदी बायोसॉलिड्स के जरिए जल स्रोतों में पहुंच रहा है।

इस शोध से जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार तकनीकी रूप से पर्यावरण में मौजूद माइक्रोफाइबर को हटाने की सम्भावना बहुत कम है, ऐसे में इसके उत्सर्जन में कमी लाना ही इससे निजात पाने का सबसे बेहतर उपाय है।

जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्ययोजना की होगी निगरानी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गठित की समिति

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्यों में जंगल में आग लगने की घटनाओं पर तैयार की गई राष्ट्रीय कार्ययोजना की निगरानी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति गठित की है। मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी है।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुआई वाली पीठ को मंत्रालय ने बताया कि जंगल की आग के प्रभाव और इसके प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जंगल की आग पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है। उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए यह कार्ययोजना सभी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी से कहा है कि जंगल की आग पर रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासन के दायरे में आता है। जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन उपायों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय केंद्रीय वित्त पोषित जंगल की आग रोकथाम एवं प्रबंधन योजना के तहत वित्तीय मदद मुहैया कराता है।

छह महीने के भीतर लगाए जाएं 175 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

वहीं, दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छह महीने के भीतर देशभर में 175 वायु गुणवत्ता निगरानी (एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर रिपोर्ट को लेकर फटकार भी लगाई। इसमें 2024 तक 20 से 30 फीसद वायु प्रदूषण कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के चेयरमैन, सदस्य सचिवों या अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित समय पर ऑनलाइन बैठक के माध्यम से निगरानी करने का निर्देश दिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस दिशा में काम एक महीने के भीतर शुरू किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंसेंट मैकेनिज्म, पर्यावरणीय मुआवजा के तहत उपलब्ध कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यूरोपीय संघ के नए पर्यावरण लक्ष्य देंगे आर्थिक विकास को बढ़ावा

यूरोपीय आयोग का कहना है कि ईयू के नए पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे. ईयू की अध्यक्षता कर रहे जर्मनी की सरकार ने संसद में वादा किया है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए और कदम उठाएगी। यूरोपीय आयोग का कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए होने वाले अरबों के निवेश और कार्बन डाय ऑक्साइड के कारोबार से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल अनुदानों में कटौती के लिए किया जाए तो 2030 तक आर्थिक विकास में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी हो सकती है. यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने 2030 तक ईयू के पर्यावरण लक्ष्यों को बढ़ाने की घोषणा की है. अगले दस सालों में यूरोपीय संघ में पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के स्तर से 55 फीसदी कम किया जाएगा।

अब तक उसे 40 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य था। लेकिन कोरोना संकट के कारण पैदा हुई स्थिति में आर्थिक ढांचे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास हो रहे हैं और इसके लिए हर साल अतिरिक्त 350 अरब यूरो का निवेश किया जाएगा. यूरोपीय संघ का इरादा खासकर अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और ऊर्जा के किफायती इस्तेमाल को बढ़ाना है. इसके लिए 2030 तक ऊर्जा के इस्तेमाल में अक्षय ऊर्जा के हिस्से को अब तक की योजना के बदले बढ़ाकर 38 से 40 प्रतिशत किया जाएगा. इसी तरह ऊर्जा के इस्तेमाल को भी 39 प्रतिशत तक कम करने की योजना है. खासकर बेहतर आइसोलेशन के जरिए घरों को गर्म और ढंडा करने में लगने वाली ऊर्जा की खपत कम की जा सकती है। यूरोपीय संघ की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब जर्मनी भी पर्यावरण सम्मत टिकाऊ विकास के लिए बहुत से कदम उठा रहा है. संसदीय चुनावों के एक साल पहले जर्मन सरकार ने संसद में पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा किया है. पिछले महीनों में जर्मनी में हुए अलग अलग चुनावों में जिस तरह से ग्रीन पार्टी के लिए समर्थन बढ़ा है, उससे माना जा रहा है कि लोगों में ग्रीन विकास की ललक बढ़ रही है। ग्रीन पार्टी के लिए यदि अगले साल तक समर्थन जारी रहा है तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि देश का अगला चांसलर ग्रीन पार्टी का भी हो सकता है. अब तक ग्रीन पार्टी के संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008